

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 20 OCT 2022


::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.) | विभाग का नाम | परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है |
|----------|---|---------------------------------|--|
| 1. | सुमन कुमारी वरिष्ठ विधि अधिकारी | नगर निगम जयपुर ग्रेटर | यू.जी.सी. नेट परीक्षा (Dec., 2021 and June, 2022 merged cycle) में सम्मिलित होने हेतु। |
| 2. | विजयंत प्रताप सिंह कनिष्ठ विधि अधिकारी | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | 1. Civil Judge Junior Division cum Judicial Megistrate pre exam 2. Labour Enforcement Officer (Central) |


शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव